(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 53/2023-State Tax

Dated: 20../2../2024

No. F.3 (26)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/161 .— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies taxable persons who could not file an appeal against the order passed by the proper officer on or before the 31st day of March, 2023 under section 73 or 74 of the said Act (hereinafter referred to as the said order), within the time period specified in sub-section (1) of section 107 read with sub-section (4) of section 107 of the said Act, and the taxable persons whose appeal against the said order was rejected solely on the grounds that the said appeal was not filed within the time period specified in section 107, as the class of persons (hereinafter referred to as the said person) who shall follow the following special procedure for filing appeals in such cases:

2. The said person shall file an appeal against the said order in **FORM GST APL-01** in accordance with sub-section (1) of Section 107 of the said Act, on or before 31st day of January 2024:

Provided that an appeal against the said order filed in accordance with the provisions of section 107 of the said Act, and pending before the Appellate Authority before the issuance of this notification, shall be deemed to have been filed in accordance with this notification, if it fulfills the condition specified at para 3 below.

3. No appeal shall be filed under this notification, unless the appellant has paid-

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and

(b) a sum equal to twelve and a half per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, subject to a maximum of twenty-five crore rupees, in relation to which the appeal has been filed, out of which at least twenty percent should have been paid by debiting from the Electronic Cash Ledger.

4. No refund shall be granted on account of this notification till the disposal of the appeal, in respect of any amount paid by the appellant, either on their own or on the directions of any authority (or) court, in

excess of the amount specified in para 3 of this notification before the issuance of this notification, for filing an appeal under sub-section (1) of Section 107 of the said Act.

5. No appeal under this notification shall be admissible in respect of a demand not involving tax.

6. The provisions of Chapter XIII of the Delhi Goods and Service Tax Rules, 2017 (03 of 2017), shall mutatis mutandis, apply to an appeal filed under this notification.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.-I)

No. F.3 (26)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 161 **Dated: 20/2/2024**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय– I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या–53/2023–राज्य कर

दिनांक: २०/२/2024

सं.फा.3(२६)/वित्त(व्यय–I)/2023–24/डीएस–I//६१/ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे कर योग्य व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 107 की धारा (1) में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 73 या 74 के तहत उचित अधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले पारित आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खिलाफ, अपील दायर नहीं कर पाए, और ऐसे कर योग्य व्यक्ति जिनकी उक्त आदेश के खिलाफ अपील केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उक्त अपील धारा 107 में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) सूचित करती है जो ऐसे मामलों में अपील दायर करने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे:

2. उक्त व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (1) के तहत 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले **प्ररुप जीएसटी एपीएल–01** में उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा:

परंतु यह कि उक्त आदेश के खिलाफ अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के प्रावधानों के तहत दायर हो, और इस अधिसूचना के जारी होने से पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, इस अधिसूचना के तहत दायर की गई मानी जाएगी, जो नीचे पैरा **3** में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी।

3. इस अधिसूचना के तहत कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने भुगतान नहीं किया हो–

(क) आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और दंड की राशि का पूरा हिस्सा, जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ख) उक्त आदेश से उत्पन्न विवाद में कर की शेष राशि का साढ़े बारह प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अधीन, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है, जिसमें से कम से कम बीस प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान किया जाना चाहिए था।

4. अपीलकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (1) के तहत अपील दायर करने के लिए, किसी भी राशि जो की इस अधिसूचना के पैरा 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक हो और जो, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं या किसी प्राधिकरण (या) अदालत के निर्देश पर, इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान की गई हो, का इस अधिसूचना के आधार पर अपील के निपटारे तक कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा ।

5. इस अधिसूचना के तहत कोई भी अपील ऐसी मांग जिसमें कर शामिल नहीं हो के संबंध में स्वीकार्य नहीं होगी।

6. इस अधिसूचना के तहत दायर अपील पर दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 03) के अध्याय XIII के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)

सं.फा.3(26)/वित्त(व्यय–I)/2023–24/डीएस–I/161 दिनांकः 20/2/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेब साईट।
12. गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)

5